आलोक रंजन,
मुख्य सचिव।

अ0शा0प0सं0-27/2016/1820/55-पर्या-2016-56
((रिट)/2016टी0सी0

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2016

प्रिय महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन0जी0टी0) में विचाराधीन वादों का प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यावरण विभाग द्वारा लखनऊ एवं नई दिल्ली में आहूत बैठकों में भाग लेने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-20/2016/1385/55-पर्या-2016-56(रिट)/2016, दिनांक 25-05-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि समस्त विभाग जिन्हें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बित वादों में प्रतिवादी बनाया जाता है वे अपने विभाग के नई दिल्ली में नोडल अधिकारी को यह निर्देश दें कि वह विभाग हेतु आबद्व स्थायी अधिवक्ता से निरन्तर सम्पर्क में रहें ताकि जैसे ही किसी वाद में उस विभाग को प्रतिवादी बनाया जाय तत्काल उस स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से वाद से सम्बन्धित ओ0ए0 मा0 अधिकरण से निकलवाकर उस पर प्रस्तरवार आख्या तथा प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने हेतु उसी विभाग के लखनऊ स्थित नोडल अधिकारी को भेज दें। लखनऊ स्थित नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि यदि उस विभाग के किसी क्षेत्रीय कार्यालय से इनपुट प्राप्त करने अथवा कार्यवाही कराने की आवश्यकता हो तो उसे करवायें तथा यदि शासकीय विभाग/शासन में किसी बिन्दु पर मत स्थिर करना है अथवा प्रतिवाद की अनुमति निर्गत की जानी है तो वह भी दिलवायें। यदि वाद में उठाया गया मुददा मुख्य रूप से तथा सीधे तौर पर उस विभाग से सम्बन्धित है तो State of U.P. through Chief Secretary, U.P. को भी प्रतिवादी बनाये जाने की दशा में मुख्य सचिव की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही भी करायें।

3- समस्त विभाग मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली एवं लखनऊ हेतु नोडल अधिकारी नामित करायें। उक्त अधिकारियों के नाम, मोबाइल नं0 प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग के ई-मेल आईडी psforest@gmail.com पर उपलब्ध करायें ताकि पर्यावरण विभाग की ओर से उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हुये समन्वय की कार्यवाही की जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

(नाम से)
संबंधित समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://sansadhanpeedia.upgov.nic.in